# मध्यप्रदेश शासन
## वित्त विभाग
### मंत्रालय

क्रमांक 984/1007/99/सी/चार, भोपाल, दिनांक 26-4-99

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

**विषय :** भूमि किराये के निर्धारण के संबंध में।
**संदर्भ :** वित्त विभागीय ज्ञापन क्रमांक 50/893/नि-5/चार/89 दिनांक 27-1-90।

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि, प्रथम बार कलेक्टर द्वारा शासकीय कार्यालय हेतु लिये गये निजी भवनों के किराया निर्धारण के उपरान्त शासकीय कार्यालयों हेतु लिये गये राजभोगी शहरों के लिये तीन वर्ष के अन्तराल के बाद जिलाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार निर्धारित किराये की दर में 15% प्रतिशत तथा अन्य स्थानों के लिये तीन वर्ष के अन्तराल के बाद 10% प्रतिशत किराये में वृद्धि करने की अनुमति दी जाये।

2/ राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि शासकीय भूमि किराये पर लेने की स्थिति में प्रथम बार किराये का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जावेगा तथा तीन वर्ष के अन्तराल के बाद किराया वृद्धि के संबंध में वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 27-1-90 के प्रावधान लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
**( जी.पी.सिंघल )**
**सचिव**
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्र.क्र. 985/1007/99/सी/चार, भोपाल, दिनांक 26-4-99
प्रतिलिपि:—

(1) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
(2) राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल।
(3) सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा भोपाल।
(4) लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
(5) सचिव लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश इन्दौर।
(6) सचिव कनिष्ठ सेवा चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल।
(7) अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना/अधीक्षण मध्यप्रदेश सचिवालय भोपाल।
(8) मुख्य लेखाधिकारी मध्यप्रदेश सचिवालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
(9) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा महालेखाकार (आडिट) प्रथम तथा द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ता/-
**( ए.आर.त्रिपाठी )**
**अवर सचिव**